



सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-1, खण्ड (क)
(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 27 जनवरी, 2005 ई0
माघ 07, 1926 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 418/विधायी एवं संसदीय कार्य/2005

देहरादून, 27 जनवरी, 2005

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 1999) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001 (निरसन) विधेयक, 2005 पर दिनांक 27-01-2005 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 08, सन् 2005 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 1999) अनुकूलन एवं
उपान्तरण आदेश, 2001 (निरसन) अधिनियम, 2005
(उत्तरांचल अधिनियम सं0 08, सन् 2005)

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 1999) अनुकूलन एवं उपान्तरण
आदेश, 2001 का निरसन करने के लिये

अधिनियम

भारत के गणराज्य के पचपनवें वर्ष में उत्तरांचल विधान सभा द्वारा अधिनियमित :-

1-यह अधिनियम उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 1999)
अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001 (निरसन) अधिनियम, 2005 कहा जाएगा।

संक्षिप्त नाम

मूल अधिनियम
सं० 24, वर्ष
1999 का निरसन

2-उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश विद्युत सुधान अधिनियम, 1999) अनुकूलन एवं
उपान्तरण आदेश, 2001 को एतद्वारा निरसित किया जाता है।

आज्ञा से,

आई० जे० मल्होत्रा,
प्रमुख सचिव।

No. 418/Vidhayee & Sansadiya Karya/2005
Dated Dehradun, January 27, 2005

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of The Uttaranchal (The Uttar Pradesh Electricity Reforms Act, 1999) Adaptation and Modification Order, 2001 (Repeal) Bill, 2005 (Uttaranchal Adhinyam Sankhya 08 of 2005).

As passed by the Uttaranchal Legislative Assembly and assented to by the Governor on 27-01-2005.

THE UTTARANCHAL (THE UTTAR PRADESH ELECTRICITY REFORMS ACT, 1999) ADAP-
TATION AND MODIFICATION ORDER, 2001 (REPEAL) ACT, 2005

(THE UTTARANCHAL ACT NO. 08 OF 2005)

*Further to amend the Uttaranchal (The Uttar Pradesh Electricity Reforms Act, 1999) Adaptation
and Modification Order, 2001 (Repeal) Act, 2005*

AN

ACT

Enacted by the State Legislative Assembly in the Fifty-fifth Year of the Republic of India :--

Short title

1. This Act may be called The Uttaranchal (The Uttar Pradesh Electricity Reforms Act, 1999) Adaptation and Modification Order, 2001 (Repeal) Act, 2005.

Repeal of
Principal Act
No. 24 of 1999

2. The Uttaranchal (The Uttar Pradesh Electricity Reforms Act, 1999) Ad-
aptation and Modification Order, 2001 is hereby repealed.

By Order,

I. J. MALHOTRA,
Principal Secretary.